

रजिस्ट्री सं. डी एल—33002/99

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

REGD. No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]

No. 170]

दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2008/कार्तिक 2, 1930  
DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2008/KARTIKA 2, 1930

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 214

[N.C.T.D. No. 214

**“दिल्ली चिकित्सा देखभाल सेवा कार्मिक एवं चिकित्सा सेवा  
संस्थान ( हिंसा एवं सम्पत्ति की क्षति की रोकथाम )  
अधिनियम, 2008**

(2008 का दिल्ली अधिनियम 08)

[20 अक्टूबर, 2008]

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक  
11 सितम्बर, 2008 को यथापारित)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चिकित्सा देखभाल सेवा कार्मिकों के  
विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए और चिकित्सा सेवा संस्थाओं की  
सम्पत्ति की क्षति की रोकथाम के लिए एवं उनसे संबंधित या उनसे  
आनुषंगिक विषयों के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली  
की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ.**—(1) इस  
अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक दिल्ली चिकित्सा देखभाल सेवा कार्मिक

एवं चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पत्ति की क्षति की रोकथाम) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(3) यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा नियत तिथि से प्रभावी होगा।

**2. परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “चिकित्सा सेवा संस्थान” का अर्थ बाह्य रोगी या अंतरंग रोगी को किसी भी मान्य चिकित्सा पद्धति से लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले संस्थान से है जो दिल्ली सरकार या केन्द्रीय सरकार या स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन या स्वायत्त निकायों द्वारा संचालित, चिकित्सा सेवा संस्थान, व्यक्तियों, न्यास, सोसायटियों, कंपनियों इत्यादि द्वारा संचालित क्लीनिक, निजी नर्सिंग होम तथा अस्पताल और रोगग्रस्त व्यक्तियों के रोग के निदान तथा/अथवा उपचार की सुविधाएं रखते हों, जहाँ पर व्यक्तियों को बीमारी, चोट, अक्षमता चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, प्रसवपूर्ण तथा/अथवा प्रसवोत्तर, या इससे संबंधित कुछ भी तथा प्रसूति गृह या स्वास्थ्य लाभ भवन शामिल है, के प्रयोजन हेतु प्रवेश दिया जाता है और रखा जाता है;

(ख) “दिल्ली” का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है;

(ग) “सरकार” का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं अनुच्छेद 239कक के अंतर्गत पदनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है;

(घ) “चिकित्सा देखभाल सेवा कार्मिक” चिकित्सा सेवा संस्थान के संबंध में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- (i) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी,
- (ii) पंजीकृत नर्स, नर्सिंग सहायक, मिडवाइफ,
- (iii) सहायक चिकित्सा कामगार रोगी वाहन सेवा उपलब्ध कराने वाले और निदानात्मक सेवा उपलब्ध कराने वाले,
- (iv) कोई अन्य कार्मिक जो प्रशिक्षण, अध्ययन इत्यादि के प्रयोजन के लिए परिसर में कार्य कर रहे हैं;

(ङ) “अपराधी” का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो स्वयं या व्यक्तियों के किसी समूह या संगठन के किसी सदस्य के रूप में या नेता के रूप में इस अधिनियम के अंतर्गत हिंसा करता है या हिंसा करने का प्रयत्न करता है या हिंसा करने को प्रोत्साहित या उकसाता है;

(च) “हिंसा” का अर्थ चिकित्सा सेवा संस्थान में कार्य निष्पादन करने वाले किसी चिकित्सा देखभाल सेवा कार्मिक को

किसी प्रकार की हानि या चोट पहुँचाने या जीवन के लिए संकट उत्पन्न करने, भयभीत करने, बाधा या रुकावट खड़ी करने वाली या ऐसे संस्थान की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने वाली गतिविधियों से है।

**3. हिंसा पर प्रतिबंध.**—किसी चिकित्सा सेवा संस्थान के चिकित्सा देखभाल सेवा कार्मिक के विरुद्ध हिंसा का कोई कार्य या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना प्रतिबंधित है।

**4. दण्ड.**—कोई अपराधी जो धारा 3 का उल्लंघन करके कोई कार्य करता है वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

**5. संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध.**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी रहते हुए धारा 3 के अंतर्गत किया गया कोई अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानती होगा।

**6. शिकायत प्रस्तुत करने वाले प्राधिकारी.**—जिस चिकित्सा सेवा संस्थान में अपराध हुआ है उसके अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को विधि प्रवर्तन प्राधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत करने की शक्ति होगी।

**7. अपराधों का मुकदमा चलाने तथा संज्ञान लेने के लिए सक्षम न्यायालय.**—(1) किसी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न कोई अन्य न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा तथा मुकदमा नहीं चलाएगा।

(2) कोई भी न्यायालय कम से कम उपनिरीक्षक की रैंक के किसी पुलिस अधिकारी की लिखित रिपोर्ट को छोड़कर इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

**8. संपत्ति को पहुँची क्षति के लिए हानि की वसूली.**—(1) धारा 4 में विनिर्दिष्ट दण्ड के अतिरिक्त अपराधी क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपकरण के क्रय मूल्य राशि की और सम्पत्ति को पहुँची क्षति राशि की दुगुनी राशि के लिए अपराधी पर मुकदमा चलाने वाले न्यायालय द्वारा यथानिर्धारित अर्थदण्ड का भागी होगा।

(2) यदि अपराधी ने उप-धारा (1) के अंतर्गत दण्ड राशि का भुगतान नहीं किया है तो उक्त राशि वसूल की जाएगी मानो यह भू-राजस्व का बकाया उस पर है।

**9. अपराधों का प्रशमन.**—(1) सरकार या सरकार द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश से प्राधिकृत कोई व्यक्ति कार्यवाही करने से पूर्व या बाद में इस अधिनियम द्वारा या अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन कर सकता है।

(2) जहाँ किसी अपराध का प्रशमन किया गया है यदि अपराधी अभिरक्षा में है तो वह रिहा किया जाएगा और माफ किए गए अपराध सम्बन्धी उसके विरुद्ध कोई आगामी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

**10. सद्भावना से की गई कार्यवाही का बचाव.**—इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भावना से किए या किए जाने वाले किसी



कार्य के लिए सरकार या किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या किसी चिकित्सा सेवा संस्थान के अध्यक्ष या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के विरुद्ध कोई अभियोग या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

11. अधिनियम, किसी अन्य कानून की अवज्ञा नहीं.— इस अधिनियम के उपबंध अतिरिक्त होंगे तथा तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून के उपबंधों की अवज्ञा नहीं करेंगे।”

सविता राव, संयुक्त सचिव

No.F.14(6)/LA-2008/lelaw/124-133.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 20th October, 2008 and is hereby, published for general information :—

**“The Delhi Medicare Service Personnel and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2008**

(Delhi Act 08 of 2008)

[20th October, 2008]

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 11th September, 2008).

An Act to prohibit violence against medicare service personnel and damage to property in medicare service institutions in the National Capital Territory of Delhi and for matters connect therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

**1. Short title, extent and commencement.—**

(1) This Act may be called the Delhi Medicare Service Personnel and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2008.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi may, by notification in the official Gazette appoint.

**2. Definitions.—**In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “medicare service institution” mean institutions providing medicare to people in any recognized system of medicine, on out patient or inpatient basis, which are under the control of the Government of Delhi or the Central Government or local bodies, medicare institutions run by autonomous bodies, clinics, private nursing homes/and hospitals run by individuals, trusts, societies, companies, etc. and having facilities for diagnosis and/or treatment of the sick, where persons are received and accommodated for the purpose of diagnosis and treatment of sickness,

injury, or infirmity whether of body or mind, ante-natal and/or post natal care, or anything connected therewith, and include a maternity home or convalescent home;

(b) “Delhi” means the National Capital Territory of Delhi;

(c) “Government” means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under Article 239 and designated as such under Article 239AA of Constitution;

(d) “medicare service personnel” in relation to a medicare service institution shall include,—

(i) registered medical practioners;

(ii) registered nurses, nursing aids, midwives;

(iii) para medical workers, ambulance service providers, and diagnostic services providers;

(iv) any other personnel who are working in the premises for the purpose of training, studies, etc.;

(e) “offender” means any person who either by himself or as a member or as a leader of a group of persons or organization commits or attempts to commit or abets or incites the commission of violence under this Act;

(f) “violence” mean activities of causing any harm or injury or endangering life, or intimidation, obstruction or hindrance to any medicare service personnel in discharge of duty in the medicare service institution or damage to property in such institution;

**3. Prohibition of violence.—**Any act medicare of violence against service personnel or damage to property in a medicare service institution is hereby prohibited.

**4. Penalty.—**Any offender who commits any act in contravention of Section 3, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

**5. Offences to be cognizable and non-bailable.—**Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), any offence committed under Section 3, shall be cognizable and non-bailable.

**6. Authority to file complaint.—**The Head of the medicare service institution where the offence has been committed, or his authorized representative shall have the power to make a complaint under this Act with the law enforcing agency.

**7. Court competent to try and take cognizance of offences.—**(1) No court other than the court of a



306/c

Metropolitan Magistrate shall be take cognizance of, and try an offence under this Act.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a report in writing of a police officer, not below the rank of Sub-Inspector.

**8. Recovery of loss for the damage caused to the property.**—(1) In addition to the punishment specified in Section 4, the offender shall be liable to a penalty of twice the amount of purchase price of medical equipment damaged and loss caused to the property as determined by the Court trying the offender.

(2) If the offender has not paid the penal amount under sub-section (1), the said sum shall be recovered as if it were arrears of land revenue due from him.

**9. Composition of offences.**—(1) The Government or any person authorized by the Government by general or special order in this behalf, may either before or after the

Institution of the proceedings, compound an offence punishable by or under this Act.

(2) Where an offence has been compounded, the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of the offence compounded.

**10. Protection of action taken in good faith.**—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or any person or officer authorized by the Government or the Head of a medicare service institution or his authorized representative for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

**11. Act not in derogation any other law.**—The provision of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law, for the time being in force.

SAVITA RAO, Jt. Secy.